(d) if so, what other measures Government propose to take to improve the standard of slum dwellers in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The present policy of the Government emphasises an environmental improvement of urban slums in situ rather than their massive clearance and re-location. The State sector scheme of Environmental Improvement of Urban Slums is in operation in this regard. Under the Scheme, basic amenities like drinkign water supply, community baths and latrines, street lighting, paving of existing lanes and pathways etc. are provided in urban slums. Funds are provided in the State Annual Plans and the State Governments formulate and implement appropriate projects under the Scheme in accordance with their needs and priorities.

The World Bank assisted urban development projects in operation in Bombay, Calcutta, Madras and other cities have also substantial slum upgradation component. Considering the acute conditions in Bombay, the Government has also decided to provide special non-plan grant of Rs. 100 crores to the Government of Maharashtra during 7th Plan for tackling the acute problems of housing and slums in Bombay.

अनुसूचित जनजातियों को छूट

1384. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के रोजगार कार्यालयों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कोई छूट प्रदान नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार भविष्य में इस श्रेणी के व्यक्तियों को कोई छूट प्रदान करने का विचार रखती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गौतमपुरी, दिल्ली में सड़कों का चौड़ा किया जाना

1385. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गौतमपुरी में सड़कों को चौडा किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है, और किन-किन विशिष्ट स्थानों पर उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित सड़कों को चौडा किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां हो, तो उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि गौतमपुरी में सड़कों को चौड़ा करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विधवाओं को रोजगार

1386. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधवाओं को रोजगार कार्यालयों में अपने नामों के पंजीयन की एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद भी नौकरियां नहीं दी जाती

हैं जबकि इस प्रकार की विधवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरियां दी जानी चाहिएं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; क्या कोई खामी सरकार के ध्यान में आई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार विधवाओं को रोजगार देने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) : (क) से (घ) रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित रिक्तियों और उनके चालू रजिस्टर पर उम्मीदवारों की संख्या के बीच बड़ा अन्तराल होने के कारण नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों (विधवाओं सहित) को नियोजकों को नाम प्रायोजित करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है । केन्द्रीय सरकार रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार के प्रयोजन से विधवाओं को कोई प्राथमिकता नहीं देती, और न ही इस संबंध में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ।

तथापि, विधवाओं की उपरी आयु सीमा केन्द्रीय सरकार के अधीन ग्रुप "ग" और "घ" पदों में रोजगार के लिए 35 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 40 वर्ष) तक बढ़ा दी गई है ।

चिकित्सीय आधारों पर सरकारी आवास का आबंटन

1387. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों के कर्मचारियों से उनके मंत्रालय को चिकित्सीय आधारों पर आवास के आवंटन के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या क्या है ;

(ख) निपटा दिये गये अथवा विचाराधीन पड़े आवेदनपत्रों की संख्या क्या है; और

(ग) अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की संख्या क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) चिकित्सा आधार पर सरकारी आवास के आवंटनार्थ केवल उन्ही आवेदन-पत्रों के बारे में आंकड़े रखे गए हैं, जो निर्धारित चिकित्सीय मापदण्डों को पूरा करते है । 10-3-87 से 22-6-88 की अवधि के दौरान, 134 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे तथा ऐसे आवेदन-पत्रों की जांच करने के लिए गठित विशेष आवास समिति द्वारा विचार किया गया । 131 मामलो में चिकित्सा आधार पर तदर्थ आवंटन के लिए अनुरोध स्वीकार किए गये, 2 मामलों की समीक्षा करने के लिए उन्हें संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को भेज दिया गया है तथा एक मामले में विशेष आवास समिति द्वारा सिफारिश नही की गई । 4 मामलों में, जिनके पूर्ण दस्तावेज विशेष आवास समिति की वि22-6-88 को हुई अन्तिम बैठक के पश्चात् प्राप्त हुए है ।

Press Correspondents with Prime Minister on His Tours

1388. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number of occasions the Prime Minister took Press correspondents alongwith him on his foreign tours since January, 1988;

(b) the number of occasions the Prime Minister took Press correspondents alongwith him on his various visit to States in the country; and

(c) the names of the correspondents and the newspapers they represent both for (a) and (b) above?